

## ४. मौलिक अधिकार भाग-१

शिक्षा हमारा  
अधिकार है।



न्यूनतम वेतन की गारंटी  
मिलनी ही चाहिए, यह  
हमारा अधिकार है !



जंगल और वन  
संसाधनों पर हमारा  
अधिकार है।



चलो, ढूँढें

- \* तुम्हें बालकों के अधिकार मालूम होंगे। क्या उनमें से तुम दो महत्वपूर्ण अधिकार बता सकोगे ?
- \* महिलाओं के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार जैसी अवधारणाएँ तुम्हें मालूम ही हैं। इन अधिकारों के संबंध में हम सभी के सम्मुख कुछ प्रश्न उपस्थित हो गए हैं।
- \* अधिकारों का उपयोग क्या होता है ? वे अधिकार हमें कौन प्रदान करता है ?
- \* क्या अधिकारों से हमें वंचित किया जा सकता है ?
- \* यदि ऐसा होता है तो इसके विरुद्ध कहाँ न्याय माँगा जा सकता है ?

ऊपर बताई गई जैसी दफ्तियाँ अथवा तख्तियाँ तुमने समाचारपत्र या फिर अन्य दूसरे स्थानों पर देखी होगी। किसी जुलूस अथवा रैली में किसी बात की माँग की जाती है और वह उनका अधिकार बताया जाता है।

हमें जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जन्मजात बालक को जीने का अधिकार प्राप्त रहता है। उसे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो; इसके लिए संपूर्ण समाज और सरकार प्रयास करते हैं। यदि सभी लोगों को अन्याय, शोषण, भेदभाव, वंचितता से संरक्षण प्राप्त हुआ; तभी प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में छिपे गुणों और कौशलों का विकास कर सकेगा। स्वयं के और संपूर्ण लोकसमूह के विकास के लिए पोषक तथा अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध कराने की माँग करना, उसके प्रति आग्रह करना ही अधिकारों की माँग करना है।

ऐसा पोषक वातावरण निर्माण करने के लिए संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। वे मौलिक अधिकार हैं। वे अधिकार संविधान में उल्लिखित हैं। अतः उन्हें कानून का दर्जा प्राप्त है। इन अधिकारों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है।

## कल्पना करो और लिखो

कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी जैसे पशुओं को तुम पालते होगे। तुम उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हो। उनसे बहुत स्नेह करते हो।

यदि ये पशु बोल पाते तो उन्होंने तुमसे कौन-से अधिकार माँगे होते ?

**संविधान में उल्लिखित हमारे अधिकार :** संविधान में भारतीय नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख मिलता है। देखेंगे कि वे अधिकार कौन-से हैं।

**समता का अधिकार :** समता का अधिकार के अनुसार देश भारतीय नागरिकों में ऊँच-नीच, छोटा-बड़ा, स्त्री-पुरुष जैसा भेदभाव करके किसी के भी साथ अलग आचरण नहीं कर सकता। कानून सभी के लिए एक समान है। कई कानून ऐसे होते हैं; जो हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसे- बिना पूछ-ताछ किए गिरफ्तार करने जैसी कृति से हमें संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते समय भी सरकार भेदभाव नहीं कर सकती।



## चलो, चर्चा करें

सभी को कानून के समक्ष समान मानने और सभी को कानून का समान संरक्षण देने के क्या लाभ हैं ?

समता का अधिकार के अंतर्गत किन बातों का समावेश होता है? सरकारी नौकरी में रखते समय सरकार जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। हमारे देश में छुआछूत का पालन करने वाली अमानवीय प्रथा को कानून द्वारा समाप्त किया गया है। छुआछूत को मानना और उसका पालन करना संज्ञेय अपराध माना गया है।

भारतीय समाज में समता निर्माण करने हेतु इस प्रथा का उन्मूलन किया गया है। जिन उपाधियों और पदवियों द्वारा लोगों में ऊँच-नीच अथवा छोटा-बड़ा का भेद दर्शाया जाता है; ऐसी उपाधियों

और पदवियों पर संविधान द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे राजा, महाराजा, रायबहादुर आदि।



## क्या तुम जानते हो ?

वे उपाधियाँ और पदवियाँ देश नहीं दे सकता जो विषमता को बढ़ाती हैं; समाज में फूट पैदा करती हैं और नागरिकों में भेद उत्पन्न करती हैं परंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करनेवाले महानुभावों को सरकार पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण जैसी उपाधियाँ प्रदान करती है।

भारतरत्न उपाधि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।

सेना में वीरता प्रदर्शित करने वाले कार्यों के लिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र जैसे सम्मान पदक दिए जाते हैं।

इन पदकों से सम्मानित किए जाने पर उन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के विशिष्ट अधिकार अथवा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे पदक प्रदान कर उनके विशिष्ट पराक्रम को गौरवान्वित किया जाता है।

**स्वतंत्रता का अधिकार :** संविधान द्वारा प्रदत्त यह एक महत्त्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार द्वारा व्यक्ति/नागरिक की दृष्टि से आवश्यक सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है।

नागरिक के रूप में हमें-

- \* भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है।
- \* बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर जनसभा का आयोजन कर सकता है।
- \* कोई संस्था अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
- \* भारत के किसी भी प्रदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
- \* भारत के किसी भी भाग में रहने/बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
- \* अपनी पसंद का व्यापार अथवा उद्योग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।



## करके देखो

यहाँ 'अ' 'ब' और 'क' द्वारा की गई कृतियाँ दी गई हैं। तुम इन कृतियों को ऊपर उल्लिखित किस स्वतंत्रता के साथ जोड़ोगे ?

'अ' ने आदिवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए 'आदिवासी सहयोग मंच' का गठन किया। 'ब' ने अपने पिता जी का बेकरी उत्पादन का व्यवसाय गोआ से महाराष्ट्र में ले आने का निर्णय किया।

'क' व्यक्ति को सरकार की नई कर संरचना की नीतियों में दोष अनुभव हुए। इस संदर्भ में उस व्यक्ति ने एक लेख लिखकर प्रकाशित करवाने हेतु समाचारपत्र को भिजवाया।



## क्या तुम जानते हो ?

संविधान द्वारा हमें अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं परंतु हम उनका लापरवाही अथवा दायित्वहीनता के साथ उपयोग नहीं कर सकते। हमारे ऐसे व्यवहार के कारण दूसरों की हानि नहीं होगी; इसका हमें बोध रहना चाहिए। हमें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है परंतु उकसाने अथवा भड़काने वाला लेखन कार्य अथवा भाषण हम नहीं कर सकते।

संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा हमें न केवल घूमने-फिरने अथवा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है अपितु हम सुरक्षित रह सकें; इस हेतु हमारे लिए संरक्षण उपलब्ध करवा दिया है। कानून का संरक्षण सभी को समान रूप से प्राप्त है। उससे किसी को भी वंचित नहीं रखा जा सकता। जैसे- हम सभी को जीने का अधिकार है। ऊपरी तौर पर यह अधिकार सीधा-सादा अनुभव होता है परंतु उसमें गहन अर्थ छुपा हुआ है। इसका अर्थ जीने की गारंटी और जीने के लिए पोषक/अनुकूल परिस्थिति का होना है। किसी भी व्यक्ति का जीवन कोई भी छीन नहीं सकता। बिना किसी कारण/प्रमाण के किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर कारागार में रख नहीं सकते।

स्वतंत्रता के अधिकार में अब शिक्षा के अधिकार का भी समावेश किया गया है। ६ से १४ वर्ष आयु वर्ग के सभी लड़के-लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार के कारण अब शिक्षा से कोई भी वंचित नहीं रहेगा।



## विचार करो

जीवन छीन लेने के अधिकार के लिए अन्य दूसरे कुछ पूरक अधिकार हैं। जैसे-एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को दंडित करने से पूर्व उसपर लगाए गए अभियोग सिद्ध किए जाने चाहिए। यह काम न्यायालय करता है। अभियोग सिद्ध करने वाले प्रमाणों-सबूतों को इकट्ठा करना और न्यायालय में मुकदमा दायर करना पुलिस का काम होता है। 'मैंने अपराध किया है;' ऐसा कहने वाले व्यक्ति को भी आनन-फानन दंडित नहीं किया जा सकता। उस व्यक्ति का अपराध भी कानून के आधार पर सिद्ध होना आवश्यक होता है। न्यायालय की इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है परंतु यह इसलिए आवश्यक है कि किसी भी अबोध अथवा निरपराध व्यक्ति को दंड भोगना न पड़े।

**शोषण के विरुद्ध अधिकार :** शोषण की रोकथाम करने के लिए शोषण का शिकार न होने देने, अपना शोषण अथवा दमन न होने देने के अधिकार को शोषण के विरुद्ध का अधिकार कहते हैं।

एक ओर संविधान ने शोषण के विरुद्ध का अधिकार प्रदान कर शोषण और दमन के सभी प्रकारों पर प्रतिबंध लगाया है; वहीं दूसरी ओर बालकों के होने वाले शोषण की रोकथाम करने हेतु विशेष प्रावधान भी किया है। इस प्रावधान के अनुसार १४ वर्ष से कम आयुवाले बालकों को खतरनाक और असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कारखानों, खदानों जैसे स्थानों पर बालकों की नियुक्ति कर उनसे काम करवाया नहीं जा सकता।

किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा न होने पर भी बेगार अथवा सख्ती/कड़ाई से काम करवा लेना, कुछ व्यक्तियों के साथ बंधुआ मजदूर अथवा दास की तरह व्यवहार करना, उन्हें काम का पारिश्रमिक न देना, उनसे कड़ा परिश्रम करवाना, उन्हें भूखों रखना अथवा उनपर अन्याय-अत्याचार करना शोषण के विभिन्न प्रकार हैं। शोषण प्रायः महिलाओं, बालकों, समाज के दुर्बल वर्गों और सत्ताहीन लोगों का होता है। शोषण किसी भी प्रकार का हो; ऐसे शोषण के विरुद्ध खड़े होने का यह अधिकार है।



### चलो, चर्चा करें

- यहाँ बाल मजदूर काम नहीं करते।
- यहाँ मजदूरों को प्रतिदिन वेतन दिया जाता है।  
तुम अनेक दूकानों और होटलों में ऐसी तख्तियाँ अथवा पाटियाँ देखते हो। उन तख्तियों और संविधान में उल्लिखित अधिकारों के बीच भला क्या संबंध हो सकता है?



### स्वाध्याय

- निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखो :
  - (१) मौलिक अधिकार किसे कहते हैं ?
  - (२) विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करनेवाले व्यक्तियों को सरकार की ओर से कौन-कौन-से पदक/उपाधियाँ दी जाती हैं ?
  - (३) चौदह वर्ष से कम आयुवाले बालकों को खतरनाक अथवा असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है ?
  - (४) संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार क्यों प्रदान किए गए हैं ?
- 'स्वतंत्रता का अधिकार' विषय पर चित्र पट्टिका तैयार करो।
- निम्न वाक्यों में सुधार कर पुनः लिखो :
  - (१) किसी भी व्यक्ति को जन्मतः अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।
  - (२) सरकारी नौकरियों पर रखते समय सरकार धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर तुम्हें नौकरी से वंचित रख सकती है।



### चलो, चर्चा करें


किसी भी व्यक्ति का शोषण न हो तथा वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सके; इसके लिए सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं। यहाँ कुछ कानूनों का उल्लेख किया गया है। ऐसे अन्य दूसरे कौन-से कानून हैं; वे ढूँढो और उनपर विचार-विमर्श करो।

- न्यूनतम वेतन अधिनियम : कारखाने में काम के घंटे, विश्राम का समय आदि के संबंध में अधिनियम।
- महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने वाला कानून - .....

इस पाठ में हमने भारतीय संविधान में उल्लिखित समता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध के अधिकारों का अध्ययन किया। अगले पाठ में हम कुछ और मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे।



### ४. निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण करो :



### उपक्रम

- (१) समाचारपत्र में छपने वाले 'जानकारी का अधिकार', 'शिक्षा का अधिकार' जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण अधिकारों का संग्रह करो।
- (२) तुम्हारे परिसर में किसी इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है और यदि वहाँ छोटे बालक मजदूर करते पाए गए तो उनसे और उनके माता-पिता से विचार-विमर्श करके उनकी समस्याओं को कक्षा में प्रस्तुत करो।

